Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, October 22, 1981

G. S. R. 68.—In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (7) and (8) of section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Medical Attendance) Rules, 1981.

2. Applicability.—These rules shall apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly and also to the Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition who are hereinafter referred to as the said officers.

3. Medical Facilities.—The said officers shall be entitled to the same medical facilities and attendance as are admissible to a minister under the Rajasthan Minister (Medical Attendance) Rules, 1961 for the time being in force and the provisions of the said rules shall *mutatis mutandis* apply to the said officers in relation to the medical facilities and attendance admissible to them.

[No. F. 7(5) Sansad/81]

By Order of the Governor,

Gopal Krishna Sharma

Secretary to the Government.

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 22 अक्टूबर, 1981

जी. एस. आर. 68 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (7) तथा (8) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम:-** इन नियमों का नाम राजस्थान विधान अधिकारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1981 है।

2. लागू होना :-ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप-मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

3. चिकित्सीय सुविधाएं :-उक्त अधिकारी वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा परिचर्या के हकदार होंगे जैसी कि तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1961 के अधीन किसी मंत्री को अनुज्ञेय है और उक्त नियमों के उपबन्ध उक्त अधिकारियों पर उन्हें अनुज्ञेय चिकित्सीय सुविधाओं तथा परिचर्या के सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[संख्या एफ. 7(5) संसद/81]
राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल कृष्ण शर्मा
शासन सचिव।